राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1865/2014 जिला –जयपुर

उनवान : मैसर्स आशीर्वाद एण्टरप्राइजेज,जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, राजस्थान– वृत–द्वितीय, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय,वाणिज्यिक कर,जयपुर

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>10.11.2014</td><td>
<u>खण्डपीठ</u>
श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष
<u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u>
अपीलार्थी के ओर से श्री अलकेश शर्मा,अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित।
अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी–द्वितीय,वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवचंन, राजस्थान– वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित किया गया हैं में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान रू.22,59,211/–पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई।
उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पर को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि रू. 22,59,211/– की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
निर्णय सुनाया गया ।
(सुनील शर्मा)
सदस्य
(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
</td><td></td></tr>
</table>